राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0
जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर

वर्ष 2015–16 की अवधि के लिये प्रयोगार्थ जूट, सूतली व काटन क्लॉथ कटिंग क्रय हेतु बिड

मुद्रणालय को वर्ष 2015–16 की अवधि (अनुबंध तिथि से एक वर्ष) के लिए प्रयोगार्थ जूट, सूतली व काटन क्लाथ कटिंग क्रय करने हेतु प्रतिष्ठित रजिस्टर्ड फर्मो, अनुमोदित वितरको एवं वास्तविक सामान के विक्रेताओ से सीलबंद टू बिड पद्धति से बिड्स दिनांक 11.08.2015 को दोपहर 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। बिड दो बन्द लिफाफो में हस्ताक्षर युक्त प्रस्तुत की जावेगी (1) तकनीकी बिड प्रपत्र परिशिष्ट ''अ'' एवं (2) वित्तीय बिड प्रपत्र परिशिष्ट ''ब'' में दरें अंकित कर प्रस्तुत करनी होगी। निविदादाता फर्म का जयपुर में कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला होना अनिवार्य है।

दोनो बिड्स अर्थात् **तकनीकी बिड** एवं **वित्तीय बिड** मोहरबन्द लिफाफे में अलग–अलग भेजी जानी चाहिये जिसमें तकनीकी बिड के लिफाफे में अमानत राशि एवं अन्य सूचना का विवरण तथा वित्तीय बिड के लिफाफे में बिड की दरें व अन्य विवरण अंकित होंगे। प्रथम लिफाफे पर वर्ष 2015–16 की अवधि के लिए जूट, सूतली व काटन क्लाथ कटिंग क्रय हेतु ''तकनीकी बिड'' तथा द्वितीय लिफाफे पर वर्ष 2015–16 की अवधि में जूट, सूतली व काटन क्लाथ कटिंग क्रय हेतु ''वित्तीय बिड'' लिखा होना चाहिऐ। बिड्स निर्धारित बिड प्रपत्र में भरकर ठीक प्रकार से लिफाफे में सीलबंद कर उचित रूप से ''जूट, सूतली व काटन क्लाथ कटिंग क्रय हेतु निविदा'' लिखा जाकर प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर को सम्बोधित करते हुये प्रस्तुत किया जाना चाहिऐं। तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता का ही द्वितीय बिड का लिफाफा ''वित्तीय बिड'' खोला जायेगा। बिड इस कार्यालय में दिनांक 11.08.2015 को दोपहर 2.00 बजे तक पहुच जानी चाहिए। बिड प्रपत्र एवं शर्तें इस मुद्रणालय की वेबसाईट www.thecooperativepress.com व sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है जिसका अवलोकन किया जा सकता है। बिड प्रपत्र एवं शर्ते इस कार्यालय में रू. 500/– नकद/डी.डी. भेजकर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त बिड्स में तकनीकी बिड के लिफाफों को उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। किसी भी बिड या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुद्रणालय को होगा तथा इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय ही अन्तिम व मान्य होगा। बोलीदाता द्वारा बिड प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होगा कि समस्त शर्तें बोलीदाता को स्वीकार है। बिड के साथ दो प्रतिशत अमानत राशि निविदा प्रपत्र में अंकितानुसार नकद/बैंक डी.डी. के रूप में जमा करानी होगी। अमानत राशि के अभाव में बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को अमानत राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण–पत्र की मूल प्रति अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रति बिड के साथ संलग्न करना होगा। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत अमानत राशि मुद्रणालय में नकद/बैंक डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी। सफल बोलीदाता को सामान के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को सामान के मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा कराना होगा तथा लिखित करार (अनुबन्ध) कराना होगा।

निविदा एक वर्ष के लिए अनुबन्ध होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य रहेगी। उक्त अवधि को आपसी सहमति से आगे बढाया जा सकता है। इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। बढाई गई अवधि के लिये अलग से करार नहीं किया जायेगा। निविदा एवं संविदा की शर्ते परिशिष्ट ''स'' संलग्न है।

संलग्न : निविदा प्रपत्र एवं शर्ते

प्रबन्ध निदेशक

प्रपत्र ''अ''

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,
जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर

वर्ष 2015–16 की अवधि के लिये टाट, सूतली व काटन क्लॉथ कटिंग क्रय हेतु बिड प्रपत्र प्रथम ''तकनीकी बिड''

1. बिड प्रपत्र मूल्य 500.00 रूपये
2. बिड प्राप्ति की दिनांक 11.08.2015 को दोपहर 2.00 बजे तक
3. बिड खोलने की दिनांक 11.08.2015 को अपरान्ह 3.00 बजे

---

1. बोलीदाता का नाम व पूर्ण पता..

    ....

    बोलीदाता फर्म का स्थानीय स्तर पर कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला का पूर्ण पत्ता ....

    ....

    फोन नं. ....ई–मेल ....मोबाइल नं. ....

1. बिड प्राप्तकर्त्ता प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर

1	अमानत राशि	डी.डी. संख्या/नकद दि. राशि
2	अमानत राशि में लद्यु उद्योग संबंधित छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लद्यु उद्योग संबंधी प्रमाण–पत्र की मूल प्रति अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रति बिड के साथ प्रस्तुत है। बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत अमानत राशि मुद्रणालय में जमा करा दी गयी है (ड्राफ्ट संलग्न है)।	डी.डी. संख्या/नकद दि. राशि
3	वैट रजिस्टेशन प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न है।	
4	बोलीदाता के कार्यालय, गोदाम एवं कार्यशाला का पूर्ण पता	
5	बोलीदाता के पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति मय टिन नम्बर व पैन नम्बर	टिन नं. पैन नं.
6	वैट की निर्धारित दर	
7	बोलीदाता के मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण	
8	अधिकृत विक्रेता होने अथवा अनुमोदित वितरक होने अथवा वास्तविक विक्रेता होने का प्रमाण पत्र संलग्न हैं।	
9	बिड के साथ टाट, सूतली व काटन क्लॉथ कटिंग के नमूने संलग्न है। (भौतिक रूप में मुद्रणालय में जमा कराने है)	

बोलीदाता के हस्ताक्षर व मोहर

<u>बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र</u>

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त बिड संख्या .... दिनांक .... के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन मे पाददर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ कि :–

(1) यह कि मुद्रणालय द्वारा उक्त बिड्स से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यवसायिक तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध है।

(2) यह कि मै/हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करो के लिये बाध्यकारी रहूँगा/रहेगें।

(3) यह कि हम/मैं किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/है और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) यह कि विगत 3 वर्षो में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण नियोग्य किये गये है।

(5) यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तो/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/है।

(6) यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड्स शर्तो से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते है।

दिनांक : ....

स्थान : ....

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम...

पद...

पता...

....

प्रपत्र ''ब''

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0

जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर–302017
फोन नं. 0141–2751417, 2751352

वर्ष 2015–16 की अवधि के लिये जूट, सूतली व काटन क्लॉथ कटिंग क्रय हेतु बिड प्रपत्र द्वितीय ''वित्तीय बिड''

1. बोलीदाता फर्म का नाम व पूर्ण पता..

....

....

2. मुद्रणालय में टाट, सूतली व काटन क्लाथ कटिंग सप्लाई करने हेतु हमारे द्वारा बिड में प्रस्तुत दरे निम्नानुसार है :–

अनुमानित राशि 1.00 लाख रूपये (एक लाख रूपयें) बोली प्रतिभूति राशि 0.02 लाख रूपये (दो हजार रूपयें)

क्र.	विवरण	मेंक	दर
1.	हैसियन क्लॉथ	44X8.12 प्रतिमीटर	
2.	सूतली (जूट ट्वाइन)	3/72X4 प्रति कि.ग्रा.	
3.	कॉटन क्लॉथ कटिंग	(अ) बडी साईज में दर प्रति कि.ग्रा.	

3. बिड प्रपत्र के साथ निविदा एवं संविदा की जो शर्ते संलग्न है, हमें स्वीकार है।
4. सभी दरें प्रति किलो वैट रहित (Without VAT) अंकित है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

परिशिष्ट 'स'

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,
जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर
टाट, सूतली एवं काटन कटिंग क्रय करने हेतु बिड एवं संविदा की शर्तें

सूचना : बोलीदाता को अपनी दरें भरते समय इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढना चाहिए।

1. वर्ष 2015–16 की अवधि के लिये मुद्रणालय को टाट, सूतली एवं काटन क्लाथ कटिंग क्रय हेतु प्रतिष्ठित फर्मो/विक्रेताओं/ निर्माताओं से टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) दो बन्द लिफाफों में हस्ताक्षर युक्त दिनांक 11.08.2015 को दोपहर 2 बजे तक प्रस्तुत की जायेगी (1) तकनीकी बिड प्रपत्र ''अ'' में तकनीकी विवरण एवं (2) वित्तीय बिड प्रपत्र ''ब'' में दरें अंकित कर प्रस्तुत करनी होगी। बोलीदाता फर्म का स्थानीय स्तर पर कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला होना अनिवार्य है।
2. क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी बिड को खोला जावेगा। तकनीकी बिड में योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय बिड को खोला जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद मान्य नहीं होगा।
3. विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. बिड केवल उन्हीं फर्मों/व्यापारियों द्वारा दी जानी चाहिये, जो निर्माता हो अथवा संबंधित सामग्री के लिए रजिस्टर्ड अनुमोदित वितरक हो या वास्तव में उस सामान के विक्रेता हो, जिसके लिए बिड दी है।
5. आपूर्ति किये जाने वाला माल निर्धारित विवरणों के अनुसार एवं अनुमोदित स्टेण्डर्ड सैम्पल से मिलता हुआ सर्वोत्तम किस्म का होना चाहिये, अन्यथा स्वीकार नही किया जायेगा।
6. फर्म आवंटित आदेश को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं देगा और न ही उससे सप्लाई करवायेगा।
7. संस्था को माल के निरीक्षण करने तथा गुणवत्ता/मेक आदि के बारे में जांच करने की शक्ति रहेगी।
8. बोलीदाता अपने कार्यालय, गोदाम व कार्यशाला प्रांगण का पूर्ण पता यहां देना होगा। जहां जाकर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा साथ ही उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता भी देना चाहिये, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
9. यदि अनुमोदित गुणवत्ता, मेक या आकार से भिन्न माल सप्लाई किया जाता है तो उसको अस्वीकार कर दिया जावेगा तथा उसको बिना अतिरिक्त मूल्य के एक निश्चित अवधि के भीतर वितरक द्वारा बदलना होगा।
10. सभी कथित दरें एफ. ओ. आर. मुद्रणालय परिसर मालवीय ओद्यौगिक क्षैत्र, जयपुर होगी, जिसका कोई कार्टेज देय नहीं होगा।
11. बिड देने वाली फर्म जिसकी निविदा स्वीकृत की जाती है, आदेश में अंकित समय की अवधि में माल वितरण करने के लिए बाध्य होगी।
12. आपूर्ति का आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
13. बिड में कोई भी अभिवृद्धि (एडीशन) एवं परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिए। कोई भी ओवरराईटिंग नहीं की जानी चाहिए।
14. बोलीदाता को बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ व अन्त में निविदा एवं अनुबन्ध की समस्त शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करना होगा जो अनुबंध का भाग होगा।

15. बिड के साथ नियमानुसार निर्धारित अमानत राशि जमा करानी होगी। इसके बिना बिड पर विचार नहीं किया जायेगा। अमानत राशि राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा अथवा नकद जमा करानी होगी। यह अमानत राशि जिन फर्मो की बिड स्वीकार नहीं होगी, उन्हें बिड की अंतिम स्वीकृति होने से एक माह में लौटा दी जावेगी एवं जिन बोलीदाताओं की बिड स्वीकार की जावेगी उनके मामले में इस राशि को जमानत (सिक्यूरिटी) के रूप में समायोजन कर लिया जावेगा।

16. पूर्व में मुद्रणालय में जमा अमानत/सिक्यूरिटी राशि का बिड के साथ नियमानुसार जमा कराई जाने वाली राशि में समायोजन नहीं होगा।

17. उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को अमानत राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा जारी किये गये लघु उद्योग ईकाईयों के पंजीयन की मूल प्रति अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित फोटो प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत अमानत राशि मुद्रणालय में नकद/बैंक डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी। इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी एवं बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

18. सफल बोलीदाता को निर्धारित प्रपत्र में एक अनुबन्ध करना होगा तथा संविदा की शर्तो को भली प्रकार से निभाने के लिए नियमानुसार पांच प्रतिशत सिक्यूरिटी के रूप में सिक्यूरिटी राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को नियमानुसार एक प्रतिशत सिक्यूरिटी के रूप में सिक्यूरिटी राशि जमा करानी होगी। सहमत हुए संविदा का कार्य पूर्ण होने की तारीख से दो माह के बाद विवाद न होने की स्थिति में सिक्यूरिटी राशि लौटा दी जावेगी। ऐसी सिक्यूरिटी राशि पर मुद्रणालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अनुबन्ध को पूरा करने एवं उस पर स्टाम्प आदि का जो व्यय होगा वह बोलीदाता को वहन करना पडेगा। क्रयकर्ता अधिकारी को निःशुल्क अनुबन्ध की एक स्टाम्प लगी हुई मूल प्रति दी जावेगी। अनुबन्ध के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

19. फर्म को भुगतान करने में (राशि के प्रेषण) जो भी अतिरिक्त व्यय होगा वह अनुमोदित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।

20. यदि अनुमोदित वितरक निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुसार माल सप्लाई करने में असफल हो जाता है या निर्दिष्ट अवधि के भीतर सामग्री भेजने में असफल रह जाता है तो मुद्रणालय अन्य प्रकार से व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा जिसमें होने वाली क्षतिपूर्ति निविदादाता फर्म से की जावेगी।

    मुद्रणालय अनुमोदित वितरक के लिए सप्लाई नहीं किये गये या छोडे गये या वितरित रूप से शिकायत के माल को सप्लाई करने के लिए लिखित में सात दिवस को नोटिस दे सकता है एवं बाद उस नोटिस की तामील होने की तारीख से सात दिवस के भीतर अनुमोदित वितरक पालना करने में असफल रहता है, तो ऐसे मामलों में यदि मुद्रणालय उचित समझता है तो उसके लिए उस सुरक्षित धन राशि को रोकना न्यायोचित होगा एवं वह जो भी सामान जो अनुमोदित वितरक के प्रति बकाया होगा उसे खरीदने के लिए अन्य व्यवस्था कर सकेगा तथा जो भी किसी अन्य अधिकरण के जरिये माल के वितरण करने की व्यवस्था करने में मुद्रणालय द्वारा अधिक व्यय वहन करना पडेगा, वह उसकी सिक्यूरिटी राशि में से पूरा किया जावेगा।

21. 1. सामग्री/माल निश्चित किये गये गोदाम पर अच्छी दशा में सम्भलवाया जायेगा। यदि अनुमोदित फर्म चाहती हो तो माल की चोरी होने, आग, बाढ एवं समय के खराब होने से या अन्य प्रकार से बचने के लिए माल का बीमा करा सकता है जिसका व्यय स्वयं फर्म को वहन करना पडेगा।

2. सामग्री का भुगतान बिल प्राप्ति के एक माह में किया जावेगा। विवादास्पद सामग्री के मामले में निपटारा होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा।

3. यदि परस्पर समझौता हो जाये तो बिड की मान्यता अवधि एवं सामान भेजने की अवधि दोनो में विस्तार किया जा सकता है।

4. बोलीकर्ता या उसके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से बिड को स्वीकृत करने के लिए किये गये प्रयास को अयोग्यता माना जावेगा।

22. मुद्रणालय किसी भी बिड को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम बिड को ही स्वीकार करें। वह किसी भी बिड/बिड के किसी भाग को उसके कारण बतलाये बिना रद्द कर सकता है।

23. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म के लिए बिक्री कर रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र एवं कर निर्धारण अधिकारी से बिक्री कर चुकती प्रमाण–पत्र बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में बिड स्वीकृत नहीं की जायेगी यदि बिड देने वाली फर्म किन्हीं सत्यभूत कारण से वैट (कर) चुकती प्रमाण–पत्र देने में असमर्थ रही है तो प्राधिकारी बिड पर विचार कर सकता है परन्तु शर्त यह है क्रय करने वाले अधिकारी के पास विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हो, ये कारण अभिलिखित किये जावेंगे तथा बिड देने वाली फर्म से बाद में प्रमाण–पत्र देने के लिए कहा जा सकता है लेकिन किसी भी मामले में यह प्रमाण–पत्र उसे संविदा पर अनुबन्ध होने से पूर्व देना होगा।

24. बोलीदाता द्वारा संस्था को विलम्ब से आपूर्ति करने पर नियमानुसार शास्ती लगाने का पूर्ण अधिकार संस्था प्रशासन को होगा जिसकी कटौती बोलीदाता फर्म के पूर्व बिलों में से अथवा सिक्यूरिटी राशि में से काटकर समायोजित कर ली जावेगी।

25. फर्म को पंजीकृत प्रमाण–पत्र एवं मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा।

26. भुगतान योग्य बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।

27. प्रस्तुत दरो में वैट अतिरिक्त होगा।

28. बोलीदाताओं से उत्पन्न होने वाली सभी विवादों एवं अनुबंध के निर्वाचन से सम्बन्धित सभी विवादों के निपटारे के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत उपापन से सम्बन्धित विवादास्पद प्रकरण के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई का अधिकार प्रथम अपील प्राधिकारी मुद्रणालय के प्रशासक/संचालक मंडल एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर में निहित है।

29. बिड्स अनुबन्ध की वैधता अनुबन्ध होने की तिथि से एक वर्ष लिये मान्य होगी। आवश्यकता पड़ने पर नियमों के तहत आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

30. समय पर सामान की आपूर्ति नहीं करने पर नियमानुसार पेनल्टी लगाई जावेगी।

31. बिड्स स्वीकृत करने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रशासक, सहकारी मुद्रणालय को होगा।

32. आयकर/बिक्रीकर चुकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

33. दरों में शब्दों एवं अंको में अंतर होने पर शब्दो वाली दर सही मानी जावेगी।
34. बोलीदाता/फर्म को पहचान हेतु फोटो युक्त आई डी प्रूफ प्रस्तुत करना है।
35. मुद्रणालय के राजस्थान लोक उपापन में पारिदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में दशार्य गये नियमों के उल्लघंन पर नियमानुसार कार्यवाही का अधिकार होगा।
36. सशर्त बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।

प्रबन्ध निदेशक

हमने उक्त बिड्स शर्ते पूर्ण रूप से पढली है तथा हम उक्त सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्यकारी होंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता फर्म
के मय मोहर